

FORM NO.III

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021
कृषि - उपनिष्ठापण

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सीताराम बनाम रामेश्वर

केस मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 213/2021 प्र०पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>16/11/2021</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सीताराम</u></p> <p>पिता श्री <u>मगना जी अहीर</u></p> <p>निवासी <u>सेमलिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सेमलिया (पहले सेमलिया)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1154 मी.</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>0.94</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सेमलिया</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1154 मी.</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>0.94</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली-निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(श्याम सुन्दर विष्णोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> 